न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. : 08 / 2002
दायरा तिथि : 21.06.2002
निर्णय तिथि : 01.12.2016

वादीः–

1. उमाशंकर उर्फ उनाशंकर पुत्र मगनीराम
2. रेवाशंकर पुत्र पुरूषोतम
3. धर्मी पत्नी उमाशंकर दवे पुत्री सांकलचंद
4. लीलावती पत्नी उनाशंकर
5. भैरूशंकर पुत्र उनाशंकर
6. हीरीबाई पुत्री सांकलाचंद
7. धर्मदत्त पुत्र वरदीशंकर
8. शंकरलाल पुत्र वरदीशंकर
9. झुमरलाल पुत्र वरदीशंकर
10. दयाशंकर पुत्र वरदीशंकर
11. हजारीमल पुत्र वरदीशंकर

कुन्ताबेन पत्नी धर्मदत्त, नागौरी पुत्री वरदीशंकर
जाति ब्राह्मम निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगणः–

1. गोपाल पुत्र मगनीराम
2. लखमा पुत्र मगनीराम
3. रतन पुत्र मगनीराम
4. तारा पुत्री मोटाजी
5. शारदा पुत्री मोटाजी
6. लाला पुत्री मोटाजी
7. लच्छी पुत्री मोटाजी
8. प्रेमबाला पुत्री मोटाजी
9. भबूत पुत्र शिवलाल
10. स्व. छोगालाल के का.मु.
    10.1 भरत कुमार
    10.2 चन्दलाल
    10.3 हुलासी पत्नी छोगालाल
11. नटवरलाल पुत्र लिखमीशंकर
12. चम्पालाल पि. लिखमीशंकर
13. स्व. सांकला पुत्र खीमा के का.मु.
    13.1 धर्मी पत्नी उमाशंकर दवे
14. गोविन्दराम पुत्र नादेश्वर
15. स्व. परमानन्द पुत्र खीमजी के का.मु.
    15.1 श्रीराम पुत्र परमानन्द
    15.2 बाबुलाल पुत्र परमानन्द
    15.3 दयाशंकर पुत्र परमानन्द
    15.4 शांतिलाल पुत्र परमानन्द
    15.5 भंवरलाल पुत्र परमानन्द
    15.6 पोपटलाल पुत्र परमानन्द
    15.7 भरत कुमार पुत्र परमानन्द
    15.8 मंछीबाई पुत्री परमानन्द
16. स्व. मोती बेवा वनाजी के का.मु. प्रतिवादी 13,14, व 15 है।
17. धर्मदत्त पुत्र वरदीशंकर
18. शंकरलाल पुत्र वरदीशंकर
19. झुमरलाल पुत्र वरदीशंकर
20. दयाशंकर पुत्र वरदीशंकर
21. हजारीमल पुत्र वरदीशंकर
22. कुन्ताबेन पत्नी धर्मदत्त, नागौरी पुत्री वरदीशंकर
23. भीखीबाई पत्नी मीठालाल पुत्री वरदीशंकर

    तमाम जातिगण ब्राह्मम,
    निवासीगण बामनेरा
    तहसील–सुमेरपुर (पाली)

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट , 1955</u>

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राठौड उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

लगातार–2..........

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

दिनांक 01.12.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है—

(1) कि वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बामनेरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादगस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 116, 113 , 117, 118, 120 कुल रकबा 23.18 बीघा के हाल खसरा नं. 140, 122, 120, 119, 128, 121, 137 बने जिसका कुल रकबा 3.48 हेक्टर है जिसका वार्षिक लगान रूपये 140.25 के बारे में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने व बंट—हिस्सा मुजब राजस्व रेकर्ड में अलग—2 खातों का अमल दरामद करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2034—36 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां पेश की है। वादीगण की ओर साक्ष्य स्वरूप गवाहान PW—1 उमाशंकर , PW—2 अमृतलाल, PW—3 मूरलीधर , PW—4 बालकृष्ण, PW—5 सुरेश कुमार एवं प्रतिवादीगण की ओर से DW—1 परमानन्द के बयान कलमबद्ध किये गये। वादी एवं प्रतिवादीगण के कायम मुकाम को पत्रावली पर लिया गया। कथित मामले मे पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य—दस्तावेजों के अवलोकन व परीक्षण करने के बाद वाद—पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है एवं हमारे विधिक विचारों में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य हिस्सा माफिक बंटवाडा करवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करना उचित होने से तहसीलदार सुमेरपुर से प्राप्त प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

(2) कि वादी द्वारा वादपत्र पुराने रेकर्ड के आधार पर प्रस्तुत होने से वर्तमान रेकर्ड अनुसार पटवारी हल्का बामनेरा व भू—अभिलेख निरीक्षक पालडी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। वर्तमान जमाबंदी संवत 2072—2075 मय प्राथमिक डिक्री की पालना नजरी नक्शे सहित प्राप्त कर पत्रावली पर ली गई। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में अनेक व पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नही करने पर अवसर बंद किया जाकर वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का परीक्षण करने पर हमने पाया कि वकील वादी के कथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. पर उभयपक्षीय वकुलाय द्वारा की गई बहस पर मनन व विचारण किया गया, साथ ही पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप हमने पाया की वादी सं. 2 रेवाशंकर के पिता का वास्तविक नाम पुरूषोत्तम दर्ज है, जबकि प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.1999 जारी हुई उसमें वादी रेवाशंकर के पिता का नाम मगनीराम दर्ज किया गया है जो गलत व त्रुटिपूर्ण है जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है, इसके अलावा रेकर्ड अनुसार रेवाशंकर पुत्र पुरूषोत्तम के हिस्से 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था परन्तु पी.डी. में 1/16 हिस्सा दर्ज गलती से किया है जो कि त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ है, जिसका भी आवश्यक सुधार किया जाना आवश्यक है। जिस पर वादी का कथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर जारी प्राथमिक डिक्री 02.07.1999 में संशोधन कर वादी सं. 02 रेवाशंकर के पिता का नाम मगनीराम के स्थान पर रेवाशंकर पुत्र पुरूषोत्तम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, साथ ही पी.डी. में दर्ज रेवाशंकर का 1/16 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। माफिक आदेश संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.04.2015 को जारी होकर तहसीलदार सुमेरपुर से प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा तलब किया गया । संशोधित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बामनेरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादगस्त संयुक्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 140, 122, 120, 119, 128, 121, 137 जिसका कुल रकबा 3.48 हेक्टर किस्म जा.प्रा.जा.अ. की वार्षिक लगान रूपये 140.25 के बारे में निम्न रूपेण अंतिम बंटवाडा किया जाता है —

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	किस्म भूमि
A	मुरलीधर पुत्र रेवाशंकर जाति ब्राह्म्ण	119	0.32	चा.प्र.जा.अ.
		120	0.33	—" "—
		121	0.59	—" "—
		122	0.51	—" "—
		04	1.75	—" "—

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

B	भैरूशंकर पुत्र उमाशंकर, लीलाबाई बेवा उमाशंकर, लखमा, गोपाल, रतना पि. मगनीराम 1/2, तारा, शारदा,लीला लच्छी, प्रेमबाला पि. मोटा 1/4, भबूता पुत्र शिवलाल , हुलासीबाई बेवा छोगा, भरतकुमार, चन्दुलाल पि. छोगा, नटवरलाल, चम्पालाल, पि. लखमीराम 1/16 धर्मीबाई पुत्री सांकला, गोविन्दराम, चुन्नीलाल, हरिशंकर, रमणलाल, पि. नादेश्वर, श्रीराम बाबुलाल, दयाशंकर, शांतिलाल,पोपटलाल, भंवरलाल, भरत पि. परमानन्द, धर्मदत्त, शंकरलाल,दयाशंकर, जुमरलाल, हजारीमल पि. वरदीशंकर 3/16 हिस्सा कौम ब्राहम्ण सा. देह	128 137 140	0.16 1.35 0.22	चा.प्र.जा.अ. –" "– –" "–
		03	1.73	—

माफिक बंटवाडा निर्णय/डिक्री अनुसार तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का बामनेरा राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 01.12..2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर (पाली)